बंदी की अपील

क्रमांक 86/98 नाम **मडकामी देवा**

पिता का नाम – मडकामी फागुराम निवासी – ग्राम–प्रताप गिरी लिमूडीपारा थाना–तोंगपाल बस्तर (म.प्र.)

उम्र **25 वर्ष**

दंडादेश **आजीवन कारावास** दिनांक – 21.07.1998

अंतर्गत **धारा 302, भारतीय दंड सहिंता** द्वारा **सत्र न्यायालय जगदलपुर बस्तर (म.प्र.)**

बंदी को यह समझा दिया गया है कि यदि वह यह कहता है या उसकी इच्छा है कि उसका प्रतिनिधित्व कोई विधि व्यवसायी करें, तो अपीलिय न्यायालय प्रकरण में सात दिन तक कोई कार्यवाही नहीं करेगा जब तक विधि व्यवसायी उपस्थित न हो। यदि विधि व्यवसायी सात दिन के भीतर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे आगे नहीं सुना जाएगा। यदि बंदी यह कहता है या उसकी इच्छा नहीं है कि उसका प्रतिनिधित्व कोई विधि व्यवसायी करें, तो न्यायालय प्रकरण में आगे कार्यवाही करेगा और उपस्थित होने वाले उस विधि व्यवसायी को सुनवाई का अवसर देने के लिए बाध्य नहीं होगा।

1. निर्णय की प्रतिलिपि हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक 21/07/1998
2. प्रतिलिपि करने का दिनांक 07/1994
3. दिनांक जब अपील भेजी गयी
4. क्या कैदी कोई प्रतिनिधि नियुक्त करना चाहता है

.....

क्रमांक 86/98 नाम **मडकामी देवा पिता मडकामी फागुराम**

लगातार सर्किल जेल **जगदलपुर**

क्रमांक 969/अष्टकोण/98 दिनांक 02/08/1998

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी **जगदलपुर बस्तर (म.प्र.)** को सक्षम अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने हेतु प्रकरण में पारित निर्णय या आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए प्रेषित।

सही/–
अधीक्षक
उप–जेल जगदलपुर

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यालय में प्राप्ति दिनांक .....07.08.1998.....
अभिलेख प्राप्त करने का दिनांक .....
वास्ते अपील ज्ञापन के साथ संलग्न किए जाने हेतु .....
क्रमांक 32 दिनांक 10.08.1998
सत्र न्यायाधीश जगदलपुर बस्तर (म.प्र.) के समक्ष प्रस्तुत

सही/–
ए.के. श्रीवास्तव
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जगदलपुर

अपीलीय न्यायालय में प्राप्ति की तिथि –––

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 2551/1998

मडकामी देवा

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

विचारण हेतु निर्णय

सही/–

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री फखरुद्दीन,

निर्णय सूचीबद्ध करने हेतु नियत तिथि– 16/12/2004

सही/–

फखरुद्दीन

न्यायाधीश

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 2551/1998

मडकामी देवा

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

कोरम खण्डपीठः माननीय न्यायमूर्ति श्री फखरुद्दीन एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा

अपीलार्थी की ओर से	: श्री आर.के. जैन, अधिवक्ता।
राज्य की ओर से	: श्री अखिल मिश्रा, पैनल अधिवक्ता।

न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा के अनुसार,

निर्णय

(दिनांक 16 दिसंबर, 2004)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सुना गया।

2. यह अपील अपीलार्थी द्वारा सत्र न्यायाधीश, बस्तर, जगदलपुर द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 136/98 में दिनांक 21.07.1998 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय के विरुद्ध जेल से प्रस्तुत की गई है। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया तथा उसे आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया।

3. इस अपील में, तत्पश्चात श्री आर.के.जैन, को अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया, जिन्होंने अपीलार्थी की ओर से प्रकरण पर तर्क प्रस्तुत किया ।

4. अभियोजन पक्ष का प्रकरण यह है कि दिनांक 24.01.1998 को लगभग 8 बजे मृतक फागुराम अपने घर के पास बैठा था। अपीलार्थी वहां आया और इस बात पर मृतक ने छिंद वृक्ष का रस (गांवों में पीने के लिए प्रयुक्त होने वाला पदार्थ) क्यों पिया है, उसने मृतक के सिर पर प्रहार कर दिया और मृतक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। खोटला (एक लकड़ी का टुकड़ा जो गाँव में अक्सर प्रयोग किया जाता है) से प्रहार किया गया था। प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है कि मृतक अपीलार्थी का पिता है, प्रकरण का दूसरा भाग यह है कि अभियोजन पक्ष द्वारा उद्धृत एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी अपीलार्थी की सगी बहन और मृतक की बेटी मडकामे हड़मे (अ.सा.1) है।

5. घटना की प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई.आर.) दिनांक 25.01.1998 को लगभग 18.45 बजे मृतक की पुत्री (अ.सा.1) द्वारा दर्ज कराई गई। प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.पी/5 है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि गांव से पुलिस थाने की दूरी लगभग 10 किमी है। परिवादी ने प्रथम सूचना

प्रतिवेदन दर्ज कराया कि घटना दिनांक 24.01.1998 को उसका बड़ा भाई घटनास्थल पर आया और छिंद के पेड़ का रस न मिलने की बात उसने अपने पिता से पूछा। पिता ने उत्तर दिया कि उसने रस लिया है और इसी बात पर अपीलार्थी ने उक्त खोटला की सहायता से उसके पिता पर प्रहार कर दिया।

6. उपरोक्त प्रतिवेदन के आधार पर अन्वेषण प्रारंभ की गई और शव को दिनांक 26.01.1998 को प्र.पी/9 के तहत शव–परीक्षण के लिए भेजा गया। शव–परीक्षण चिकित्सक पी.एन. शांडिल्य (अ.सा.5) ने किया। बाह्य परीक्षण में चिकित्सक ने मृतक के सिर के मध्य भाग पर एक क्षति पाई, जो अंतःक्षति के रूप में थी और काले रंग की थी और आकार में 2 x 1 इंच थी। शव–परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी/12 है। शव–परीक्षण प्रतिवेदन में क्षतियों का विवरण इस प्रकार है:

> "क्षति – सिर के ऊपर से बाल हटाने पर गहरे काले लाल रंग का खरोंच (क्षति) दिखाई देता है। सिर के बीच में नील (रगड) का निशान है। अनियमित आकार और आकृति माप 2"x1" सूजन। सिर की त्वचा और मांसपेशियों को हटाने पर, सिर के ऊपर गहरे काले रंग का थक्का और सिर की हड्डी के जोड़ के शीर्ष पर फ्रैक्चर (ललाट की हड्डी का शीर्ष) सिर की हड्डी का जोड़ टूटा हुआ है।"

7. तत्पश्चात, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत मेमोरेंडम अन्वेषण अधिकारी द्वारा दिनांक 30.01.1998 को लगभग 10.30 बजे प्र.पी/6 के तहत दर्ज किया गया और मेमोरेंडम के अनुसरण में *खोटला* को उसी दिन लगभग 11.00 बजे प्र.पी/7 के तहत जब्त कर लिया गया।

8. अभियोजन पक्ष का प्रकरण एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी मडकामे हड़मे (अ.सा.1) के परिसाक्ष्य पर आधारित है, जो अपीलार्थी की सगी बहन है। उसके कथन के अनुसार, उसने घटना देखी थी और उसने अपीलार्थी को मृतक के सिर पर *खोटला* से प्रहार करते हुए देखा था।

9 विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष के साक्षियों के साक्ष्य दर्ज करने के पश्चात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपीलार्थी का कथन दर्ज किया, जिसमें अपीलार्थी ने हथियार की बरामदगी के साथ–साथ उसके प्रकटीकरण को भी स्वीकार किया, जो अभियुक्त के परीक्षण के प्रश्न क्रमांक 7 के तहत उसके समक्ष रखा गया था।

10. विद्वान सत्र न्यायाधीश ने एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी मडकामे हडमे (अ.सा.1) के परिसाक्ष्य पर भरोसा करते हुए अपीलार्थी को दोषसिद्ध करते हुए उपर्युक्त दंडादेश दिया है।

11. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दोतरफा तर्क प्रस्तुत किया है। सबसे पहले, उनका विरोधी तर्क यह है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि घातक प्रहार अपीलार्थी द्वारा किया गया था और एकमात्र हितबद्ध चक्षुदर्शी साक्षी अ.सा.1 द्वारा बताई गई कहानी असत्य और अविश्वसनीय है। वैकल्पिक रूप से, उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में जब मृतक पर एक ही प्रहार किया गया था, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत कोई प्रकरण नहीं बनता है

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

और यदि अपीलार्थी को अपने पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो उसे केवल धारा 304 भाग I के तहत सिद्धदोष किया जा सकता है।

12. एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी के परिसाक्ष्य के विषय में पहले प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **बिहार राज्य, अपीलार्थी– बनाम– त्रिलोकी सिंह, उत्तरवादी** 1999 CRI.L.J. 2447 में प्रतिवेदित निर्णय का संदर्भ लिया गया है। उपरोक्त निर्णय के पैरा 17 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया:–

> "इसके बाद यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित अन्य साक्षी चक्षुदर्शी साक्षी होने का दावा नहीं करते हैं और अभियोजन पक्ष का प्रकरण पूरी तरह से सूचनाकर्ता अ.सा.2 के अभिसाक्ष्य पर आधारित है। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि अभियोजन पक्ष का प्रकरण पूरी तरह से सूचनाकर्ता के अभिसाक्ष्य पर आधारित है और इसलिए, हमने न्याय में किसी भी तरह की विफलता से बचने के लिए उसके साक्ष्य को बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ अध्ययन किया है। हमने पाया है कि सूचनाकर्ता के अभिसाक्ष्य में सच्चाई है। उसके पास अपीलार्थी को झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं है। उसके पास अपने बेटे के हमलावर की पहचान करने का पूरा अवसर था। अपीलार्थी उसे जानता था और इसलिए, गलत पहचान का कोई प्रश्न ही नहीं है। हमारा विचार है कि सूचनाकर्ता के साक्ष्य की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए, यह अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए अपने आप में एक विश्वसनीय आधार बन सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इन सभी तथ्यों पर विचार करते हुए, माननीय न्यायाधीशों ने आगे यह सिद्धांत निर्धारित किया कि जहां अभियोजन पक्ष का प्रकरण एकमात्र साक्षी के परिसाक्ष्य पर आधारित है, दोषसिद्धि ऐसे साक्षी के परिसाक्ष्य पर आधारित हो सकती है, यदि परिसाक्ष्य में अपेक्षित गुणवत्ता है, जो विश्वास उत्पन्न करती है और न्याय की विफलता को खारिज करती है। एक और प्रश्न, जो विचारणीय है, वह रिश्तेदार साक्षियों के परिसाक्ष्य के विषय में है। इस संबंध में संदर्भित विधि **रिज़ान एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य** के प्रकरण में ए.आई.आर. 2003 SC 976 में प्रतिवेदित है। निर्णय के पैरा 6 के अनुसार, माननीय न्यायाधीशों ने यह निर्धारित किया कि रिश्तेदारी साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऐसा अक्सर होता है कि कोई रिश्तेदार वास्तविक अपराधी को नहीं छिपाता और निर्दोष व्यक्ति पर आरोप लगता है। अगर झूठे आरोप लगाने का अभिवाक किया जाता है तो इसकी नींव रखी जानी चाहिए। ऐसे प्रकरण में, न्यायालय को सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना होगा और यह पता लगाने के लिए साक्ष्यों का विश्लेषण करना होगा कि क्या यह तर्कपूर्ण और विश्वसनीय है। ए.आई.आर 1973 SC **पृष्ठ क्रमांक** 1073 में प्रतिवेदित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लेते हुए, केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 1992 **क्रि.ला.जर्नल** 2049 में प्रतिवेदित **सहदेवन राजन और अन्य बनाम केरल राज्य** के प्रकरण में भी अभिनिर्धारित किया है कि मृतक के रिश्तेदारों के सीधे और भरोसेमंद साक्ष्यों के दोषसिद्धि को बनाए

रखने के लिए पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। अभियोजन पक्ष के प्रकरण में हितबद्धता के एकमात्र आधार पर ऐसे साक्ष्यों को खारिज नहीं किया जा सकता।

13. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधि के आलोक में हम अ.सा.1 के परिसाक्ष्य की जांच करेंगे। हमने मडकामे हड़मे (अ.सा.1) के साक्ष्य का अवलोकन किया है, जो एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी और अपीलार्थी की सगी बहन है। उसने अपने साक्ष्य के पैरा 2 में स्पष्ट रूप से कहा है कि शाम के समय अपीलार्थी छिंद के पेड़ से रस लेने आया था, वह पेड़ पर चढ़ गया। उसे पेड़ पर रखे बर्तन में रस नहीं मिला और वह वापस घर आया और यह कहकर कि उसके पिता ने उसे पी लिया है, उसने उक्त *खोटला* उठाकर अपने पिता के सिर पर दो प्रहार किए, जिससे मृतक गिर गया। साक्षी ने यह भी कहा कि उसने स्वयं घटना देखी थी और अगली तिथि को उसने प्र.पी/5 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई।

14. प्रति–परीक्षण भी किया गया। साक्ष्य के पैरा 4 में साक्षी को यह सुझाव दिया गया कि पिता और पुत्र के बीच विवाद चल रहा था। यह सुझाव सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रत्याख्यान के रूप में दर्ज किया गया है। इस साक्षी ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा दिए गए सुझाव को स्पष्ट रूप से नकार दिया है और कहा है कि उसके पिता के सिर पर सीधे घातक प्रहार किया गया था। प्रति–परीक्षण में उसने स्वीकार किया है कि छिंद का पेड़ घर से लगभग 100 कदम की दूरी पर है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा यह भी सुझाव देने का प्रयास किया गया कि अंधेरे के कारण वह घटनास्थल को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाई।

15 प्रति–परीक्षण के आलोक में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क स्वीकार नहीं किए जा सकते कि या तो अ.सा.1 की उपस्थिति संदिग्ध है या उसने घटना नहीं देखी है।

16. यह साक्षी अपीलार्थी की सगी बहन है और मृतक की बेटी भी है। हमने उसके साक्ष्य का अत्यंत सावधानी और सतर्कता से अध्ययन किया है। उसका यह कथन स्वाभाविक है और उसकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता। हमने इस साक्षी के पूरे साक्ष्य का अध्ययन किया है और सत्र न्यायालय के निर्णय का परीशीलन किया है जिसमें उसके परिसाक्ष्य पर पूरी तरह से भरोसा किया गया है। उसके पास अपीलार्थी को झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं है। उसे हमलावरों की पहचान करने का भी पूरा अवसर मिला था। अपीलार्थी को वह जानती थी क्योंकि वह उसका सगा भाई है और इसलिए गलत पहचान का कोई प्रश्न ही नहीं है। पूरे कथन और साक्ष्य को देखने के बाद हम इस बात से संतुष्ट हैं कि उसके अभिसाक्ष्य पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता है और इस तरह की साक्षी के अभिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है, साक्ष्य में अपेक्षित गुणवत्ता है जो विश्वास को प्रेरित करती है और न्याय की किसी भी तरह की विफलता की संभावना को खारिज करती है।

17. अब अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दूसरे तर्क पर आते हैं कि भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत अपराध नहीं बनता है, इस बिंदु पर निर्णय के पैरा 11 का संदर्भ लिया जा सकता है। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने प्रकरण के इस पहलू पर विचार किया है। इस संबंध में, **(1991) 2 एससीसी पृ.32 जयप्रकाश बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन)** में प्रतिवेदित सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय का भी संदर्भ लिया गया है। यह प्रकरण अपीलार्थी द्वारा दी गई एकल क्षति का है। सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 19 के

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अनुसार अभिनिर्धारित किया है कि "इस प्रकरण में, अभियुक्त ने जानबूझकर क्षति पहुंचाई, हालांकि यह पूर्वनियोजित नहीं हो सकता है। सभी परिस्थितियां स्पष्ट रूप से ऐसी मानसिक स्थिति का संकेत देती हैं कि उसने निशाना साधकर एक घातक हथियार से क्षति पहुंचाई। यह दर्शाने के लिए साक्ष्य के युक्तियुक्त स्पष्टीकरण के अभाव में कि अपीलार्थी का सीने में चाकू से उस हद तक प्रहार करने का आशय नहीं था, जो हृदय को भेदने के लिए पर्याप्त हो, यह निष्कर्ष निकालना अनुचित होगा कि उसका वह क्षति पहुंचाने का आशय नहीं था जो उसने किया। जब एक बार 'आशय' के घटक स्थापित हो जाता है, तो हत्या का अपराध माना जाएगा क्योंकि 'आशय' क्षति की प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त पाया जाता है। इसलिए, यह हत्या का अपराध बनता है!"

18. इस न्यायालय ने भी इसी आधार पर प्रकरण की जांच की है। यद्यपि, मृतक के सिर पर अपीलार्थी द्वारा एक ही प्रहार किया गया था, लेकिन प्रहार की तीव्रता जिसके परिणामस्वरूप ललाट की हड्डी का ऊपरी भाग टूट गया, स्पष्ट रूप से आशय को दर्शाता है। इतना ही नहीं, जिस तरह से मृतक को 'खोटला' जैसे घातक हथियार से प्रहार किया गया और यह प्रहार से एक बेटे द्वारा पिता को किया गया, उससे मृतक की हत्या करने का अपीलार्थी का आशय स्पष्ट रूप से पता चलता है। इसलिए यह हत्या की कोटि में आने वाला आपराधिक मानव वध के समान होगा।

19. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात, इस न्यायालय की राय में, चूंकि पिता के सिर पर उसके पुत्र द्वारा घातक प्रहार किया गया था तथा इस घटना की साक्षी अपीलार्थी की सगी बहन तथा मृतक की पुत्री थी, इसलिए विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत उचित रुप से दोषसिद्ध किया है तथा इस प्रकरण में कोई भी अपवाद आकर्षित (लागू) नहीं होता है।

20. तदनुसार, विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 21–7–1998 के दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय दिनांक 21.07.1998 को यथावत रखा जाता है। परिणामस्वरूप, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील विफल हो जाती है और उसे खारिज किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–	सही/–
फखरुद्दीन	सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश	न्यायाधीश

16/12/2004

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ..... Kumudini Tirkey, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur